



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07012026-269145  
CG-MH-E-07012026-269145

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947

No. 11]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

शुद्धि-पत्र

मुंबई, जनवरी 5, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/290.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की तारीख 15 दिसम्बर, 2025 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जीएन/2025/288 (जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित हुई थी) में, हिन्दी रूप में –

1. पृष्ठ सं. 12 पर, विनियम 29 के उप-विनियम (1) में दिए हुए शब्दों “किए गए लेनेदेन” को शब्दों “किए गए लेनेदेन” के रूप में पढ़ा जाएगा।
2. पृष्ठ सं. 18 पर, अनुसूची-I के फॉर्म-क के भाग- I की मद सं. 5.5 में दिए हुए शब्दों तथा चिह्नों “ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स (ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स)” को शब्दों “ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स” के रूप में पढ़ा जाएगा।
3. पृष्ठ सं. 21 एवं 22 पर, अनुसूची- III के खंड 5 के उप-खंड (क), उप-खंड (ख) और उप-खंड (ग) की संख्याएँ “(क)”, “(ख)” एवं “(ग)”, क्रमशः “क.”, “ख.” एवं “ग.” पढ़ी जाएँगी।
4. पृष्ठ सं. 24 एवं 25 पर, अनुसूची- III के खंड 31 के उप-खंड (क), उप-खंड (ख) और उप-खंड (ग) की संख्याएँ “(क)”, “(ख)” एवं “(ग)”, क्रमशः “क.”, “ख.” एवं “ग.” पढ़ी जाएँगी।

[विज्ञापन-III/4/असा./588/2025-26]

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****CORRIGENDUM**

Mumbai, the 5th January, 2026

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/290.**—In the notification of the Securities and Exchange Board of India, No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/288 dated December 15, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, in the English version –

1. in page 27, in Regulation 6, the numbering of sub-regulation (3) shall be read as sub-regulation (2).
2. in page 28, in Regulation 10, the numbering of sub-regulation (5) shall be read as sub-regulation (4).
3. in page 39, in Schedule I, Form A, Part-I, Item 5, the numbering of sub-items 5.8, 5.9 and 5.10 shall be read as 5.5, 5.6 and 5.7 respectively.
4. in page 43, in Schedule III, clause 31, the numbering of sub-clause d, e and f shall be read as a, b and c respectively.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Extty./588/2025-26]